न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–रूक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–38/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

बंधन बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय डीएन–32, सॉल्ट लैक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसका एक शाखा कार्यालय–द्वितीय तल कृष्ण कॉम्पलेक्स, कैलाशुपुरी टोंक रोड़ जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश दयाराम।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयवीर सिंह
   पता–आर्य मंदिर के पास, वार्ड नं. 03 ग्राम डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमती तारावती
   पता–आर्य मंदिर के पास, वार्ड नं. 03 ग्राम डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांकः–20.09.2023

प्रार्थी बंधन बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री जयपाल झौरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय–डी.एन. 32, सैक्टर–वी सॉल्ट लेक सिटी, कलकता पश्चिम बंगाल–700091 में स्थित एवं कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय–द्वितीय तल कृष्ण कॉम्पलेक्स, कैलाशुपुरी टोंक रोड़–जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश दयाराम है। प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड को शश्वत अधिकार एवं सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना–पत्र के सभी तथ्यों से परिचित है व उनको प्रार्थी बैंक की ओर से साक्ष्य देने, प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन करने और प्रार्थना पत्र के निपटारे तक की समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 20.09.2019 को जरिये ऋण खाता संख्या 712/889 में ऋण राशि 10,00,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अपनी अचल सम्पत्ति–ग्राम धोबी, पंचायत समिति भद्रा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1536 वर्गफीट है, जो कि श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह के नाम से है, को आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 06.01.2022 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में कुल बकाया देय ऋण राशि 12,58,485.57 दिनांक 23.03.2022 तक का ब्याज एवं इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे आदि बकाया निकलते है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 23.03.2022 को रजिस्ट्रर्ड नोटिस दिये गये उक्त मांग नोटिस के बिना तामिल के वापस लौट आने/मांग नोटिस की तामिल की प्राप्ति रसीद नहीं मिलने के कारण मांग नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्र दैनिक जलते दीप व द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05.06.2022 को किया गया। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित बकाया देय ऋण राशि कोई प्रतिसंदाय प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति–ग्राम डोबी, पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1536 वर्गफीट है, जो कि श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official